राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 9(20)राज–6/2017/138

जयपुर, दिनांक 25/11/2019

परिपत्र

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के तहत चरागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर कृषि एवं गैर कृषि प्रयोजन के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस नियम के तहत 4 हैक्टयर. तक भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करने हेतु जिला कलक्टर सक्षम है एवं 4 हैक्टयर से अधिक भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना प्रावधित है।

विभिन्न प्रकरणों में जिला कलक्टर द्वारा किसी राजस्व गांव में कुल 4 हैक्टयर भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करने उपरांत अन्य प्रकरणों में 4 हैक्टयर से अधिक भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन की अनुमति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जा रहे है। इस संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 21.02.2006 तथा दिनांक 26.03.2007 को अतिक्रमित करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के अंतर्गत जिला कलक्टर को 4 हैक्टयर की सीमा तक चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करने की शक्ति प्रत्येक प्रकरण/मामले के संबंध में है व यह सीमा प्रत्येक ग्राम हेतु नहीं है। जिला कलक्टर प्रत्येक प्रकरण/मामले में 4 हैक्टयर तक की भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करने हेतु इस नियम के अंतर्गत सशक्त है।

आज्ञा से,
25.11.19
(कमलेश आबुसरिया)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।

Giriraj jatttu/dsrevenue6@gmail.com

Scanned by CamScanner